



# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

तिलक मार्ग-1 लखनऊ-226001

पत्र सं०-टीएस-सीसीटीएनएस-87/14(11)

दिनांक: लखनऊ: अक्टूबर, 2017

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे।

समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवे।

समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे।

ज्ञातव्य हो कि समस्त पुलिस कार्यवाही की समीक्षा सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड की गयी अद्यावधिक सूचनाओं के आधार पर ही हर स्तर पर किया जा रहा है। इसी क्रम में जी०आर०पी० के समस्त अनुभाग के समस्त थानों की समीक्षा होनी चाहिए। दिनांक: 01-01-2013 से 10-10-2017 तक के कार्यों की समीक्षा की गयी तो पाया गया कि निम्न जी०आर०पी० थानों द्वारा सीसीटीएनएस पोर्टल पर एक भी विवेचनायें निस्तारित नहीं की गयी हैं। जी०आर०पी० के ऐसे थाने जहाँ कुल लम्बित विवेचनाएं शत-प्रतिशत (100%) लम्बित है, उनके नाम निम्न है- जी०आर०पी० थाना- बदायूं, कानपुर, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, टुण्डला जं०, अकबरपुर।

इसी क्रम में 80 प्रतिशत से ज्यादा और 100 प्रतिशत से कम विवेचनायें जी०आर०पी० के निम्न थाने पर लम्बित हैं, जी०आर०पी० थाना-कैण्ट, आगरा, फोर्ट, बहराइच, इटावा, चारबाग लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली, फिरोजाबाद।

जघन्य अपराधों में 100 प्रतिशत लम्बित विवेचनायें वाले निम्न 22 थाने हैं- जी०आर०पी० थाना-आगरा कैण्ट, इटावा, फैजाबाद, गोण्डा, जौनपुर, झांसी, कानपुर, मैनपुरी, मथुरा जं०, मेरठ शहर, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, उन्नाव, टूण्डला जं०, फिरोजाबाद, मऊ, महोबा, कर्वी, कासगंज।

50 प्रतिशत से कम लम्बित विवेचना वाला केवल एक ही थाना जी०आर०पी० बाराबंकी है।

कुल गिरफ्तारी के क्षेत्र में सीसीटीएनएस पर आईआईएफ 3 फार्म फीड करने में शून्य प्रतिशत गिरफ्तारी दिखाने वाले जीआरपी के कुल 65 थानों में से 38 निम्न थाने हैं-

आगरा कैण्ट, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद, बाराबंकी, बरेली जं०, नजीबाबाद, बदायूं, बुलन्दशहर, फैजाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर, चारबाग लखनऊ, मथुरा जं०, मेरठ शहर, मिर्जापुर, बड़ौत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, मानिकपुर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, टुण्डला जं०, फिरोजाबाद, ललितपुर, आनन्दनगर, अकबरपुर, मुगल सराय, कर्वी एवं कासगंज।

इसी प्रकार जघन्य अपराधों में भी 67 में से केवल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी दर्शायी गयी है और गैंगेस्टर एक्ट के 239 अभियुक्तों में से केवल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी दर्शायी गयी है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि जीआरपी अनुभागों द्वारा सीसीटीएनएस पर फीड की जा रही सूचनाओं के बारे में संवेदनशीलता का भारी अभाव है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस दिशा में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। सीसीटीएनएस से प्रशिक्षित कर्मचारियों की वर्तमान नियुक्ति पीएनओ नं० की सूची के साथ सभी को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। इस मुख्यालय से कई निर्देश निर्गत होने के बावजूद भी सीसीटीएनएस पोर्टल पर सूचनाओं के फीड करने में कोई रूचि नहीं दिखायी जा रही है। सभी अधिकारियों के वार्षिक मन्तव्य भी सीसीटीएनएस पोर्टल पर फीड करने में ली गयी रूचि के अनुसार अंकित की जायेगी।

संलग्नक : यथोपरि

(सुलखान सिंह)

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०  
लखनऊ।

प्रतिलिपि:—

1. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।